भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 904
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 फरवरी, 2025 को दिया जाना है

लोक अदालतें

904. श्री दुलू महतो :

श्री बृजमोहन अग्रवाल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड और छत्तीसगढ़ में पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों, राज्य लोक अदालतों और स्थायी लोक अदालतों (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं) में प्राप्त और समाधान किए गए मामलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) झारखंड और छत्तीसगड में लंबित मामलों को कम करने के लिए आयोजित अतिरिक्त लोक अदालतों के माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा लिए गए और सफलतापूर्वक समाधान किए गए मामलों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) झारखंड और छत्तीसगढ़ में शुरुआत से लेकर आज दिनांक तक ई-लोक अदालत के माध्यम से प्राप्त और हल किए गए मामलों की कुल संख्या कितनी है ;

(घ) झारखंड और छत्तीसगढ़ में वर्तमान वर्ष में विशिष्ट तारीखों पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों के दौरान सुनवाई और समाधान किए गए मामलों की कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) झारखंड और छत्तीसगढ़ में पिछले तीन वर्षों में आयोजित लोक अदालतों के संदर्भ में अन्य राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की तुलना में कितने मामले प्राप्त हुए और निपटाए गए ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों, राज्य लोक अदालतों और स्थायी लोक अदालतों (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं) द्वारा आयोजित लोक अदालतों की संख्या, प्राप्त मामलों और निपटाए गए मामलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार (झारखंड और छत्तीसगढ़ सहित) और वर्ष-वार ब्यौरा क्रमशः **उपाबंध-क, उपाबंध-ख** और **उपाबंध-ग** में दिया गया है ।

कोविड महामारी के दौरान ई-लोक न्यायालयों ने काम करना आरंभ कर दिया, जिससे उन लोगों के लिए न्याय तक पहुँच में काफी सुधार हुआ जो शारीरिक रूप से लोक अदालतों में भाग लेने में सक्षम नहीं थे। पहली ई-लोक अदालत 27.06.2020 को आयोजित की गई थी और तब से 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में ई-लोक अदालतों का आयोजन किया जा चुका है। जून, 2020 से ई-लोक अदालतों में प्राप्त मामलों और निपटाए गए मामलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार (झारखंड और छत्तीसगढ़ सहित) ब्यौरे

उपाबंध-घ में दिए गए है। ई-लोक अदालतों के निपटान के आंकड़े अलग से दिखाए गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय और राज्य लोक अदालत के मामलों में शामिल हैं।

(घ) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) हर वर्ष राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन के लिए कैलेंडर जारी करता है। वर्ष 2025 के दौरान, राष्ट्रीय लोक अदालतें 8 मार्च, 10 मई, 13 सितंबर और 13 दिसंबर को आयोजित की जानी हैं। इसलिए, चालू वर्ष में अभी तक कोई राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित नहीं की गई है।

(ड.) : लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ न्यायालय में लंबित या मुकदमेबाजी से पहले के चरण में विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन कानूनी दर्जा दिया गया है। लोक अदालत में मामला फाइल करने पर कोई न्यायालय फीस देय नहीं होती है। यदि न्यायालय में लंबित कोई मामला लोक अदालत को भेजा जाता है और बाद में उसका निपटारा हो जाता है, तो शिकायत/याचिका पर न्यायालय में मूल रूप से भुगतान की गई न्यायालय फीस भी पक्षकारों को वापस कर दी जाती है। लोक अदालतों में मामलों से निपटने के लिए एक समान नीति है, इसलिए राज्यों के बीच कोई विभेद नहीं है । झारखंड और छत्तीसगढ़ ने लोक अदालतों में मामलों का निपटारा करने में कई अन्य राज्यों की तुलना में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, जैसा कि संलग्न उपाबंध से स्पष्ट है ।

*****

उपाबंध-क

लोक अदालतों के संबंध में श्री दुलू महतो और श्री बृजमोहन अग्रवाल संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 904, जिसका उत्तर तारीख 07.02.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में प्राप्त और निपटाए गए मामलों (पूर्व-मुकदमेबाजी और लंबित मामले दोनों) की जानकारी वाला विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम	2022		2023		2024	
		प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	5555	3310	5933	1536	7594	2976
2	आंध्र प्रदेश	1026449	647956	982779	671612	497317	262449
3	अरुणाचल प्रदेश	7938	1071	6837	990	8028	1771
4	असम	707744	113989	963744	164445	1079328	179325
5	बिहार	2594655	305483	2868992	357765	3183423	355600
6	चंडीगढ़	77646	15569	96578	63764	59511	36743
7	छत्तीसगढ	1539971	1125318	2105736	1664237	5141101	4634630
8	दादरा और नागर हवेली	4343	1323	8456	982	8228	724
9	दमण और दीव	1959	215	43579	19650	23371	8234
10	दिल्ली	617852	535025	817332	671278	852367	665892
11	गोवा	24461	3934	23018	3505	26816	4052
12	गुजरात	2731581	1185571	3926438	1863177	4410203	2161033
13	हरियाणा	1100069	673487	1343620	985650	1834082	1376486
14	हिमाचल प्रदेश	255681	111150	368230	150181	365995	182024
15	जम्मू-कश्मीर	459202	390496	530332	404665	727975	679992
16	झारखंड	1386756	1121405	3053483	2822947	5375328	5171277
17	कर्नाटक	5167842	3444607	17195581	14840452	15925526	14369064
18	केरल	395978	136101	285372	57726	311233	59020
19	लद्दाख	1948	1444	2796	1781	3026	2150
20	लक्षद्वीप	318	129	107	41	183	42
21	मध्य प्रदेश	3125248	419776	3489492	536105	3389490	499888
22	महाराष्ट्र	34223486	4754239	27444014	3543736	58086210	4675264
23	मणिपुर	1905	1343	636	437	1161	1003
24	मेघालय	5318	956	4277	680	4506	915
25	मिजोरम	13529	4432	10757	4087	6745	1230
26	नागालैंड	3229	888	2566	801	2911	1021
27	ओडिशा	821017	337065	898167	348288	1323513	758705
28	पुडुचेरी	21110	6405	23240	6297	25497	4331
29	पंजाब	824437	392256	1140074	760712	1524941	1161869
30	राजस्थान	6685251	4572315	19870336	16586071	15188298	12303117
31	सिक्किम	402	232	263	126	246	129
32	तमिलनाडु	840700	447536	704748	355762	769962	338520
33	तेलंगाना	1622035	1611677	5634105	5591849	14750839	14693814
34	त्रिपुरा	30126	4814	50635	15724	79365	42910
35	उत्तर प्रदेश	30114718	18698973	47350615	31644594	48137476	38487330
36	उत्तराखंड	100809	67438	116672	85032	98566	86813
37	पश्चिमी बंगाल	1078663	788082	1445470	1115532	1739032	1315776
	कुल योग	97619931	41926010	142815010	85342217	184969393	104526119

उपाबंध-ख

लोक अदालतों के संबंध में श्री दुलू महतो और श्री बृजमोहन अग्रवाल संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 904, जिसका उत्तर तारीख

07.02.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य लोक अदालतों और गठित पीठों में प्राप्त और निपटाए गए मामलों (पूर्व-मुकदमेबाजी और लंबित दोनों मामले) की जानकारी वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम	2022-23			2023-24			2024-25 (नवंबर, 2024 तक)		
		गठित पीठों की संख्या	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले	गठित पीठों की संख्या	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले	गठित पीठों की संख्या	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	4999	16380	6720	80	3511	1825	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	1	5	4	0	0	0	0	0	0
4	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	बिहार	9	576	574	0	0	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	30	6536	538	32	5455	1413	0	0	0
7	छत्तीसगढ	124	1487	139	0	0	0	0	0	0
8	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	60	15773	11094	198	131178	123151	184	149892	142568
11	गोवा	43	5094	1308	13	1109	245	8	1969	329
12	गुजरात	3805	95554	19717	12	11311	244	2137	24572	9108
13	हरियाणा	43135	420041	230018	92	37733	29196	0	0	0
14	हिमाचल प्रदेश	142	6798	4198	59	2968	2880	38	1457	1447
15	जम्मू-कश्मीर	225	88719	76683	134	31572	28170	242	32853	29115
16	झारखंड	1523	15668	10868	1495	39685	33718	877	1087296	796828
17	कर्नाटक	229	35802	2632	0	0	0	0	0	0
18	केरल	607	85191	23246	657	108894	26231	428	39532	9515
19	लद्दाख	4	294	240	0	0	0	0	0	0
20	लक्षद्वीप	3	32	3	1	2	1	1	4	2
21	मध्य प्रदेश	1242	14064	5367	1472	60425	48996	835	7609	1752
22	महाराष्ट्र	30	2954	341	38	6432	580	4	21	1
23	मणिपुर	4	91	43	0	0	0	0	0	0
24	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	मिजोरम	41	3855	1202	12	273	94	48	1779	524
26	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ओडिशा	6	135624	112422	3	284068	244230	0	0	0
28	पुडुचेरी	47	13781	743	38	10770	492	17	6845	266
29	पंजाब	6	20	15	154	6133	2268	0	0	0
30	राजस्थान	1202	35255	1628	1086	40751	1039	723	22919	687
31	सिक्किम	150	1513	887	143	1111	784	104	918	515
32	तमिलनाडु	1295	119811	16369	1336	196315	34744	306	54461	3466
33	तेलंगाना	2604	32367	25365	2474	177182	171817	1718	31254	13897
34	त्रिपुरा	19	8033	2492	62	39021	25637	35	19798	13080
35	उत्तर प्रदेश	30	1768325	259125	172	1020023	411941	224	151801	59246
36	उत्तराखंड	125	56459	26498	102	37193	17407	59	13536	5675
37	पश्चिमी बंगाल	454	17167	10830	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	**62194**	**3003269**	**851309**	**9865**	**2253115**	**1207103**	**7988**	**1648516**	**1088021**

<u>उपाबंध-ग</u>

लोक अदालतों के संबंध में श्री दुलू महतो और श्री बृजमोहन अग्रवाल संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 904, जिसका उत्तर तारीख 07.02.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थायी लोक अदालतों (पीएलए) पीयूएस की बैठकों की संख्या, प्राप्त मामलों और इन बैठकों में निपटाए गए मामलों की जानकारी वाला विवरण।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम	2022-23			2023-24			2024-25 (नवंबर, 2024 तक)		
		वर्ष के दौरान बैठकें	वर्ष के दौरान प्राप्त मामले	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के दौरान बैठकें	वर्ष के दौरान प्राप्त मामले	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के दौरान बैठकें	वर्ष के दौरान प्राप्त मामले	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1058	387	558	1349	1479	1134	935	1010	1083
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	213	66	56	195	133	97	108	40	19

5	बिहार	313	235	157	0	0	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	241	7563	10945	239	11322	11511	163	7424	7117
7	छत्तीसगढ	1224	2003	2028	1174	6899	6749	753	7654	5559
8	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	773	18288	18682	781	19682	19337	527	14110	13917
11	गोवा	0	0	0	0	0	0	4	479	53
12	गुजरात	1	8	8	0	0	0	0	0	0
13	हरियाणा	3416	70102	72440	3659	101318	107362	2391	45375	33664
14	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	झारखंड	6216	30114	26154	5826	29779	35715	3777	18844	16872
17	कर्नाटक	904	7338	4588	603	4709	4190	894	3975	5594
18	केरल	226	369	2564	415	262	1527	246	248	359
19	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	1176	514	608	1071	264	409	602	154	207
22	महाराष्ट्र	1017	1370	1208	1023	779	485	656	467	714
23	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ओडिशा	753	1358	1612	1041	1344	1891	777	1541	1200
28	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	पंजाब	4902	12907	14545	4969	21521	20279	3328	13427	12047
30	राजस्थान	4435	4804	5072	4230	5382	5799	3416	3493	3168
31	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	तमिलनाडु	1121	597	528	1119	439	427	706	312	314
33	तेलंगाना	118	14101	7540	104	12136	12746	47	5867	7086
34	त्रिपुरा	70	165	162	97	152	157	77	155	121
35	उत्तर प्रदेश	3720	2637	1173	4476	2713	2516	2513	1278	1164
36	उत्तराखंड	590	832	510	649	411	432	474	405	385
37	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	**32487**	**175758**	**171138**	**33020**	**220724**	**232763**	**22394**	**126258**	**110643**

<u>उपाबंध-घ</u>

लोक अदालतों के संबंध में श्री दुलू महतो और श्री बृजमोहन अग्रवाल संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 904, जिसका उत्तर तारीख 07.02.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

जून, 2020 से नवंबर, 2024 तक आयोजित ई-लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों (पूर्व-मुकदमेबाजी और लंबित दोनों मामलों) की संख्या की जानकारी वाला विवरण।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले
1	आंध्र प्रदेश	22733	15714
2	अरुणाचल प्रदेश	208	41
3	बिहार	67205	20547
4	चंडीगढ़	70	12
5	छत्तीसगढ	30623	17624
6	दिल्ली	113080	96631
7	गोवा	170	65

8	गुजरात	2707608	1786223
9	हरियाणा	13320	8610
10	हिमाचल प्रदेश	272708	11932
11	जम्मू-कश्मीर	11204	7866
12	झारखंड	239865	154879
13	कर्नाटक	350466	210096
14	केरल	39526	26257
15	मध्य प्रदेश	40253	8697
16	महाराष्ट्र	98109644	8498126
17	मणिपुर	1053	829
18	मेघालय	158	41
19	मिजोरम	2024	330
20	ओडिशा	48078	5379
21	पंजाब	14714	7175
22	राजस्थान	94590	36112
23	सिक्किम	1372	319
24	तेलंगाना	13337	11270
25	त्रिपुरा	3822	674
26	उत्तर प्रदेश	463037	303444
27	उत्तराखंड	15759	4618
28	पश्चिमी बंगाल	27938	10959
	कुल योग	**102704565**	**11244470**

टिप्पण : ई-लोक अदालतों में निपटानि के आंकड़े अलग से दर्शाए गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय और राज्य लोक अदालत के मामलों में शामिल हैं ।

****